रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092025-266528
CG-DL-E-29092025-266528

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4275] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2025/आश्विन 4, 1947
No. 4275] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025/ASVINA 4, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2025

का.आ. 4395(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में बेलगाम-हुंगुंड-रायचूर खंड (ईसी10-हैदराबाद-पणजी कॉरिडोर) एनएच-748ए के किमी 182.300 से किमी 228.500 तक के भू-खंड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा ।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एनएचएआई बागलकोट को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधार अधिकाथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा, और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनवाई के पश्चात तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात, यदि कोई भी हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगां या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में बेलगाम-हुंगुंड-रायचूर एनएच-748ए के किमी 182.300 से किमी 228.500 तक के भू-खंड के निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: कर्नाटक			**जिले का नाम: बागलकोट**		
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
तालुक का नाम: इलकल					
गांव का नाम: हिरेशिंगाणगुत्ती					
1	109/2B/1	निजी	ड्राय	145.89 (वर्ग मीटर)	0.014589
2	110	निजी	ड्राय	2356.52 (वर्ग मीटर)	0.235652
3	49/PAI/1B	निजी	ड्राय	1272.713 (वर्ग मीटर)	0.127271
4	53	निजी	ड्राय	785.26 (वर्ग मीटर)	0.078526
5	56/PAI	निजी	ड्राय	5064.8 (वर्ग मीटर)	0.50648
6	60	निजी	ड्राय	599.99 (वर्ग मीटर)	0.059999
7	72	निजी	ड्राय	4587.92 (वर्ग मीटर)	0.458792
गांव का नाम: हिरादपुरा					
8	49/3	निजी	ड्राय	1527.26 (वर्ग मीटर)	0.152726
9	52/4,5	निजी	ड्राय	3954.06 (वर्ग मीटर)	0.395406
10	53/1	निजी	ड्राय	346.94 (वर्ग मीटर)	0.034694
11	59	निजी	ड्राय	991.07 (वर्ग मीटर)	0.099107
12	59/PAI	निजी	ड्राय	5608.8 (वर्ग मीटर)	0.56088
13	60/A,B	निजी	ड्राय	1145.05 (वर्ग मीटर)	0.114505
गांव का नाम: नंदवादगी					
14	114/2	निजी	ड्राय	271.06 (वर्ग मीटर)	0.027106

15	120/2B	निजी	ड्राय	201.18 (वर्ग मीटर)	0.020118
16	417	निजी	ड्राय	1173.2 (वर्ग मीटर)	0.11732
17	418	निजी	ड्राय	983.18 (वर्ग मीटर)	0.098318
18	449	निजी	ड्राय	715.36 (वर्ग मीटर)	0.071536
19	6/1	निजी	ड्राय	600 (वर्ग मीटर)	0.06
20	85	निजी	ड्राय	966.15 (वर्ग मीटर)	0.096615
				Total	**3.32964**

[फा. सं. 5470(E)/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2025

S.O. 4395(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning with paved shoulder etc.,), maintenance, management and operation of Belgaum-Hungund-Raichur Stretch (EC10-Hyderabad-Panaji Corridor) NH-748A in the stretch of land from Km. 182.300 to Km. 228.500 in the district of BAGALKOT in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer, NHAI Bagalkot in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of Land of Belgaum-Hungund-Raichur NH-748A from Km. 182.300 to Km. 228.500 in the district of BAGALKOT in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA			**District: BAGALKOT**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Ilkal					
Village: Hireshinganagutti					
1	109/2B/1	Private	Dry	145.89 (Square Meter)	0.014589
2	110	Private	Dry	2356.52 (Square Meter)	0.235652

3	49/PAI/1B	Private	Dry	1272.713 (Square Meter)	0.127271
4	53	Private	Dry	785.26 (Square Meter)	0.078526
5	56/PAI	Private	Dry	5064.8 (Square Meter)	0.50648
6	60	Private	Dry	599.99 (Square Meter)	0.059999
7	72	Private	Dry	4587.92 (Square Meter)	0.458792
Village: Hireadapura					
8	49/3	Private	Dry	1527.26 (Square Meter)	0.152726
9	52/4,5	Private	Dry	3954.06 (Square Meter)	0.395406
10	53/1	Private	Dry	346.94 (Square Meter)	0.034694
11	59	Private	Dry	991.07 (Square Meter)	0.099107
12	59/PAI	Private	Dry	5608.8 (Square Meter)	0.56088
13	60/A,B	Private	Dry	1145.05 (Square Meter)	0.114505
Village: Nandavadagi					
14	114/2	Private	Dry	271.06 (Square Meter)	0.027106
15	120/2B	Private	Dry	201.18 (Square Meter)	0.020118
16	417	Private	Dry	1173.2 (Square Meter)	0.11732
17	418	Private	Dry	983.18 (Square Meter)	0.098318
18	449	Private	Dry	715.36 (Square Meter)	0.071536
19	6/1	Private	Dry	600 (Square Meter)	0.06
20	85	Private	Dry	966.15 (Square Meter)	0.096615
				Total	**3.32964**

[F. No. 5470(E)/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.09.29 22:30:37 +05'30'